

एससी/एसटी आरक्षण : केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का आग्रह

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के समूद्ध तबके (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने संबंधी शीर्ष अदालत का 2018 का फैसला पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जाए। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समूद्ध लोग यानी क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने जर्नेल सिंह प्रकरण में कहा था कि संवैधानिक अदालतें आरक्षण व्यवस्था पर अमल के दौरान समता का सिद्धांत लागू करके आरक्षण के लाभ से ऐसे समूहों या उप-समूहों के समूद्ध तबके को शामिल नहीं करके अपने अधिकार क्षेत्र में होंगे। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के इस कथन का संज्ञान लिया

ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक संसद में मंजूूर

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

युवाओं और बच्चों को ई सिगरेट के खतरे से बचाने के लिए इसे प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद पास कर दिया। लोकसभा इसे पिछले सप्ताह ही पास कर चुकी है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने उच्च सदन में गुरुवार को पेश विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी तंबाकू कंपनियों ने भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करने की तैयारी कर ली थी।

आठ कानूनी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

धन शोधन एवं बैंकिंग नियमन कानून सहित आठ कानूनों के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इन प्रावधानों के तहत अपराध पीड़ितों को अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिलती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायूर्ति सी हरिश्चंकर ने कानून एवं न्याय मंत्रालय, वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर उनका रुख पूछा है।

भारत की जवाबी कार्रवाई में चार पाक फौजी ढेर

पेज १ का बाकी

के तीन पोस्ट तबाह कर दिए गए। उनके चार सैन्यकर्मियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें दो अधिकारी हैं।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए भारतीय नागरिकों की पहचान जमालादीन (55) के रूप में हुई है। वह करबा गांव के निवासी हैं। जम्मू मेंडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने शनिवार दोपहर करीब तीन बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कस्बा और किरनौी सेक्टर में संघर्षविराम का उल्लंघन किया था।

पाकिस्तानी आइएसपीआर के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने राखचिकरी और रावलकोट सेक्टरों में भारतीय गोलाबारी से बड़ी तबाही की बात मानी है। अपने आखिरी ट्वीट में गफूर ने कहा कि पाकिस्तान के चारों फौजियों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई।

फैसला सबूतों और तर्क पर आधारित नहीं : मदनी

पेज १ का बाकी

पर आया फैसला समझ से परे है और तर्क पर आधारित नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले में संविधान में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है न कि इसका मकसद देश के ‘सांप्रदायिक सीाहार्द’ में बाधा डालना है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में पुर्नविचार याचिका दायर करने के कुछ घंटों के बाद मदनी ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय अयोध्या मामले पर दिए गए अपने फैसले को बरकरार रखता है तो मुसलिम संगठन उसे मानेंगे। उन्होंने कहा, ‘हमने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मिल्तिकयत मुकदमे में विवादित फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।’

कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं किया जा सकता।

वेणुगोपाल ने कहा, ‘यह बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि यह पहलू सात न्यायाधीशों के वृहद पीठ को सौंपा जाए क्योंकि क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन श्रेणियों पर लागू नहीं किया जा सकता।’ यह सिद्धांत आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए वंचित तबकों के समूद्ध लोगों के बीच विभेद करता है और इस समय यह इंदिरा साहनी प्रकरण में नौ सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के आलोक में पिछड़े वगों पर लागू होता है। समता आंदोलन समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने अटार्नी जनरल के इस कथन का विरोध किया। पीठ ने इस पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए आरक्षण नीति में बदलाव के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष ओपी शुक्ला और पूर्व आइएएस अधिकारी एम एल श्रवण की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नोटिस जारी किए।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मालीवाल करेंगी अनशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,2 दिसंबर।

बलात्कारियों को छह महीने के भीतर फांसी की सजा वाले कानून को लागू करवाने की मांग क े लेकर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मंगलवार से बेमियादी अनशन करेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, वे अनशन नहीं तोड़ेंगी।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बहुत हो गया! नन्ही छह साल की बेटी और प्रियंका रेड्डी की चीखें मुझे दो मिनट भी चैन से नहीं बैठन दे रही।’ हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बलात्कार व हत्या सहित छह साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले के आलावा देश के विभिन्न हिस्से में पिछले कुछ दिनों में सामने आई बलात्कार की अन्य घटनाओं के खिलाफ मंगलवार से स्वाती

पंकजा ने अब ट्विटर परिचय से भाजपा का जिक्र हटाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद अब अपने ‘ट्विटर बायो’ से पंकजा मुंडे ने भाजपा शब्द हटा दिया है। इससे उनके अगले कदम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। इस बीच, शिवसेना ने भी यह कहकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है कि भाजपा कई नेता उसके संपर्क में हैं। हालांकि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटील ने पंकजा मुंडे के पार्टी छोड़ने की खबरों को निराधार बताया है।

भाजपा नेता पंकजा ने ट्विटर पर अपने बायो में से भाजपा शब्द हटा दिया है। पंकजा ने 28 नवंबर को तीन ट्वीट किए थे, जिनमें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बधाई दी थी। हालांकि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के बारे में कुछ नहीं लिखा था। सोमवार को पंकजा ने अपने ट्विटर बायो से सारी जानकारी हटा दी। इसमें उन्होंने भाजपा का नाम और अपने राजनीतिक सफर का विवरण भी हटा दिया।

इससे पहले पंकजा ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वह 8-10 दिन में अपना आगे का रास्ता चुनने के बारे में फैसला

करेंगी। फेसबुक पोस्ट में पंकजा ने कहा था कि बदले राजनीतिक परिवेश में अपनी ताकत को समझना जरूरी है। मुझे 8-10 दिन तक कुछ चिंतन करना है और मैं 12 दिसंबर को आप सभी से मुलाकात करूंगी। यह हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी का जन्मदिन है। मैं अगले 8-10 दिन में मैं यह तय कर लूंगी कि मुझे आगे क्या करना है और कौन से रास्ते पर जाना है।

पंकजा मुंडे को लेकर चल रहे कयासों को लेकर चंद्रकांत पाटील ने सोमवार को सफाई दी। मुंबई में उन्होंने कहा, ‘भाजपा के नेता, पंकजा मुंडे से संपर्क में हैं। वह हार के बाद आत्मनिरीक्षण कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाजपा छोड़ रही हैं।’ उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज किया कि कई नेता उद्धव ठाकरे नीत पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं।

पाटील ने कहा, ‘महाराष्ट्र में दुर्घटनावश बनी सरकार निराधार खबरें फैला रही है। उनके ठाकरे परिवार से अच्छे पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह शिवसेना में शामिल होने जा रही हैं।’

लोग सड़कों पर उतरे

पेज १ का बाकी

भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) व संघर्षशील महिला संगठन सहित कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने निर्भया फंड तुरंत आवंटित करने और देश के सभी जिलों में निर्भया केंद्र बनाए जाने की मांग उठाई।

केवाईएस कार्यकर्ताओं ने प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) व अन्य संगठनों जैसे नॉर्थ-ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सोलीडारिटी (नेफिस) के साथ मिलकर जंतर-मंतर पर धरना दिया। केवाईएस ने मांग की कि पीड़िता के परिवार की शिकायत न लिखने वाले सभी पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाला जाए और उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

दूसरी ओर, हैदराबाद में शादनगर कस्बे में लोगों ने एक पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इसी थाने में चार आरोपियों को रखा गया है। इस कस्बे के पुलिस थाने के स्थाने हमें न्याय चाहिए का नारा लगाते हुए स्यानीय निवासियों ने धरना दिया, जिसमें महिलाएं और छात्र भी शामिल थे।

बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से मिले सजा : जया बच्चन

पेज १ का बाकी

नरमी नहीं की जानी चाहिए, उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई सार्वजनिक तौर पर होनी चाहिए।

इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह पहला अवसर नहीं है, जब मैं ऐसे किसी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। निर्भया कांड, कटुआ कांड.... यह थम ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक दिन पहले भी उसी जगह इसी तरह की घटना हुई थी। वहां के सुरक्षा प्रभारी को क्यों जवाबदेह नहीं बनाया जाना चाहिए? उनसे सवाल क्यों नहीं किए जाने चाहिए? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का समुचित तरीके से निर्वाह क्यों नहीं किया?

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हैदराबाद में एक युवा महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की घटना को लेकर चर्चा के लिए उन्हें कार्य स्थान नोटिस दिए गए। सभापति ने कहा कि उन्होंने इन नोटिस को अस्वीकार कर दिया है लेकिन उच्च मुद्दा अत्यंत गंभीर है और इस पर वे सदस्यों को अपनी बात संक्षेप में कहने की अनुमति देंगे।

द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि अदालतों को ‘बलात्कार के दोषियों का, जेल से रिहाई से पहले सर्जरी के जरिए या रसायनों के जरिए बंध्याकरण के आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे रिहा होने के बाद ऐसे अपराध दोबारा न कर सकें और दूसरों के मन में भी डर उत्पन्न हो। विल्सन ने कहा कि यह व्यवस्था दूसरे देशों में है। गुणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शंखर राय ने कहा कि हैदराबाद की घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अधिकार क्षेत्र की बात की जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दे चुका है। ऐसे मामलों में किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने ऐसी घटनाओं को सभ्य समाज के लिए चुभने वाली करार देते हुए कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों में परिलक्षित होने चाहिए।

अयोध्या : मुसलिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की

पुनर्विचार याचिका के अनुसार, ‘इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने बाबरी मस्जिद नष्ट करने और उसके स्थान पर वहां भगवान राम के मंदिर के निर्माण का परमादेश दे दिया है।’ याचिका में कहा गया है कि यद्यपि फैसले में न्यायालय ने हिंदू पक्षकारों की अनेक अवैधताओं, विशेषकर 1934 में (बाबरी मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाना) 1949 (बाबरी मस्जिद को अपवित्र करना) और 1992 (बाबरी मस्जिद को गिराना) का संज्ञान लिया, फिर भी उसने इन गैरकानूनी कृत्यों को माफ करने और विवादित स्थल को उसी पक्ष को सौंप दिया जिसने अनेक गैरकानूनी कृत्यों के आधार पर अपना दावा किया था।

हालांकि, रशीदी ने याचिका में कहा है कि वह पूरे फैसले और अनेक नतीजों पर पुनर्विचार का अनुरोध नहीं कर रहे हैं और उनकी याचिका हिंदुओं के नाम भूमि करने जैसी नृटियों तक सीमित है क्योंकि यह एक तरह से बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के परमादेश जैसा है और हिंदू पक्षकारों को इसका अधिकार देने समय कोई भी व्यक्ति इस तरह की अवैधता से लाभ हासिल नहीं कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि फैसले ने

आरटीआइ के दायरे में होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के प्रस्तावित पद के लिए जिम्मेदारियों और उससे संबंधित कार्य ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार के अगले दो हफ्तों में सीडीएस की नियुक्ति की घोषणा कर देने की उम्मीद है जो सरकार का शीर्ष सैन्य सलाहकार होगा। करगिल समीक्षा समिति ने 1999 में इसके लिए सुझाव दिए थे।

मोदी चाहते थे मेरा साथ, मैंने प्रस्ताव टुकराया : पवार

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को टुकरा दिया।

पवार ने सोमवार को एक मराठी टीवी चैनल को साक्षात्कार में ये दावा किया। पवार ने कहा, ‘मोदी ने मुझे साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था। मैंने उनसे कहा

रेलवे ने सौ रुपए कमाने के लिए खर्चें 98.44 रुपए

पेज १ का बाकी

2016-17 में 2,68,759.62 करोड़ रुपए से 2017-18 में बढ़कर 2,79,249.50 करोड़ रुपए हो गया। जबकि पूंजीगत व्यय 5.82 फीसद से घटा है और वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 10.47 फीसद की वृद्धि हुई। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी लागत, पेंशन भुगतानों और रोलिंग स्टॉक पर पट्टा किराया के प्रतिबद्ध व्यय 2017-18 में कुल संचालन व्यय का लगभग 71 फीसद था। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल का सबसे बड़ा संसाधन माल भाड़ा है और उसके बाद अतिरिक्त बजटीय संसाधन और यात्री आय है। यद्यपि अतिरिक्त बजटीय संसाधन और डीजल सेस की हिस्सेदारी 2017-18 में बढ़ गई है। फिर भी 2012-17 के दौरान प्राप्ति के औसत आंकड़ों की तुलना में माल भाड़ा, यात्री आय, जीबीएस और अन्य हिस्सेदारी 2017-18 में घट गई।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की

रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में कहा कि सीडीएस, सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उल्लेखनीय सैन्य सुधार के तहत 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में सीडीएस का पद सृजित किया जाएगा जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति बनाई गई थी जिसे सीडीएस के सटीक जिम्मेदारियों और कार्य ढांचे को अंतिम रूप देना था।

मोदी चाहते थे मेरा साथ, मैंने प्रस्ताव टुकराया : पवार

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।
राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को टुकरा दिया।
पवार ने सोमवार को एक मराठी टीवी चैनल को साक्षात्कार में ये दावा किया। पवार ने कहा, ‘मोदी ने मुझे साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था। मैंने उनसे कहा कि हमारे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा रहेंगे लेकिन मेरे लिए साथ मिलकर काम करना संभव नहीं है।’ पवार ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, ‘लेकिन, मोदी नेतृत्व वाली कैबिनेट में सुप्रिया (सुले) को मंत्री बनाने का एक प्रस्ताव जरूर मिला था।’ सुप्रिया सुले, पवार की बेटी हैं और पुणे जिला में बारामती से लोकसभा सदस्य हैं।

रेलवे ने सौ रुपए कमाने के लिए खर्चें 98.44 रुपए

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लक्षित 1.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की तुलना में प्रथम तीन वर्षों (2015 से 2018) के दौरान अनुमानित राशि लक्ष्य से कम है। रेलवे पिछले दो वर्षों के दौरान इस राशि को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर सका था।

कैग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि रेलवे को आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि सकल और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता रोकी जा सके।

इसमें सिफारिश की गई है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान रेल द्वारा वहन किए गए पूंजीगत व्यय में कटौती हुई है। रेलवे पिछले दो वर्ष में आइबीआर-आइएफ के तहत जुटाए गए धन को खर्च नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे बाजार से प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग करना सुनिश्चित करे।

भारी बारिश, दीवार गिरने से 17 की मौत

पेज १ का बाकी

स्थल पर पहुंचे। कलक्टर ने पत्रकारों से कहा कि ग्रामीणों ने परिसर में दीवार निर्माण के मामले पर उनसे बात की थी। राजमणि ने कहा कि जिला प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों के सुझावों पर गौर करेगा। वह आगे की कार्रवाई के लिए राय सरकार को रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि मेट्टटुपलायम सरकारी अस्पताल में भी सेवाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को जिला मुख्यालय तक ना जाना पड़े। उधर लोअर भावनी प्रोजेक्ट जलाशय में जलस्तर 105 फुट के अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया और जलसंग्रहण क्षेत्र में पानी अधिकतम 32.8 टीएमसी फुट की क्षमता के मुकाबले 32 टीएमसी फुट से ऊपर जमा हो गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सोमवार की सुबह 3,500 क्यूसेक से तीन गुना ज्यादा यानी 11,950 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि परिणामस्वरूप राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया और भवानी नदी के तट के पास रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पर्वतीय नीलगिरि जिले और पड़ोस के कोयंबदूर जिले के मेट्टटुपलायम के जलसंग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद इस साल यह छठी बार है, जब बांध में जलस्तर बढ़ गया है।

प्रियंका की सुरक्षा में सेंध, मकान में घुस आई गाड़ी

पेज १ का बाकी

गांधी वाड़ा के लोधी इस्टेट स्थित घर पर सुरक्षा में कथित सेंध के बारे में जानकारी नहीं है और वह इस पर जानकारी लेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने गांधी परिवार से एस्पीजी हटा ली। अब उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है जिसमें सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा संभालते हैं।

महिला सुरक्षा : देश भर में आक्रोश, संसद में गूँज

पेज १ का बाकी

कि इस मामले में चार दोषियों को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया गया है जबकि उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक तय समय सीमा में ऐसे अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए।

द्रमुक के टीआर बालू ने कोयंबदूर में 12 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेने की मांग की। गुणमूल कांग्रेस के सीगत राय ने मांग की कि हैदराबाद की घटना पर सदन संज्ञान ले और केंद्र सरकार तत्काल कटोर कानून लाकर दुष्कर्म के मामलों में केवल मौत की सजा का प्रावधान लाए। तेलंगाना से भाजपा के वी संजय कुमार ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कटोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। राकांपा की सुप्रिया सुले, बसपा के दानिश अली, अपना दल की अनुप्रिया पटेल सहित कई अन्य सदस्यों ने भी बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। टीआरएस

नई दिल्ली

न्यायिक जांच रिपोर्ट लीक होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा

रायपुर, 2 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन करने का सोमवार को आरोप लगाया और इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की। भाजपा सदस्यों का आरोप है कि 2012 में दक्षिण बस्तर में एक कथित मुठभेड़ की जांच करने वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को लीक किया गया था। इस घटना में 17 लोग मारे गए थे। विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2012 में 28-29 जून की रात को सारकेगुड़ा (बीजापुर जिले) और सिलगौर और चिमलिपेटा गांव (पड़ोसी सुकमा जिले) के बीच हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के पेश होने के तुरंत बाद, भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि यह रिपोर्ट मीडिया में पहले ही लीक हो चुकी है। उन्होंने कहा, 'सदन के सत्र में होने के दौरान इस तरह की अहम रिपोर्ट कैसे लीक हो

सकती है। सदन के सदस्यों को रिपोर्ट के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था और इसे सदन में पेश किया जाना चाहिए था। इसके बजाय हमें अखबारों से पता चल रहा है।' मुख्यमंत्री पर सदन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि यह सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन और विधानसभा की अमानत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बघेल और जीएडी के सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इस विषय पर चर्चा कराई जानी चाहिए। इस मुद्दे पर उनका समर्थन करते हुए, विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में अन्य भाजपा विधायकों ने भी विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर चर्चा की मांग की। इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर चर्चा की मांग की जिसमें कहा गया कि सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों पर एकतरफा गोलीबारी की थी। जब आसंजी पर आसानी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कार्यसूची के कार्यों को बढ़ाने की कोशिश की तब भाजपा विधायक चर्चा की मांग करते हुए विरोध करने लगे और

सरकार विरोधी नारे लगाए। शर्मा ने कहा कि यह मामला अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है लेकिन विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के कारण पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर शर्मा ने कहा कि मामला विचाराधीन है। सारकेगुड़ा मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट रविवार को सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। मामले की जांच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने की। गौरतलब है 28 जून, 2012 की रात में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के दल ने बीजापुर जिले के बसागुड़ा थाना क्षेत्र के सारकेगुड़ा में सात नाबालिगों सहित 17 लोगों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने तब दावा किया था कि माओवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना के आधार पर उन्होंने माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिसमें नक्सलियों ने भी गोलीबारी की थी।

राजस्थान में बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 2 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान में पुलिस ने एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महेंद्र टॉफ की धोल्या बच्ची को टॉफी देने के बहाने सुनसान जगह ले गया और इस अपराध को अंजाम दिया। टॉफ के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्ध ने संवाददाताओं को बताया, 'आरोपी, बच्ची का परिचित है। उसे डर था कि बच्ची घर जाकर उसकी पहचान बता देगी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी।' पुलिस के अनुसार घटना के समय वह नशे में था और उसके बाद वह घर न जाकर इधर-उधर छिपता रहा। वह राजस्थान छोड़कर भागना चाहता था लेकिन टॉफ के ही अलीगढ़ में पकड़ लिया गया। लगभग 40 साल का आरोपी पेशे से ट्रक चालक है और दो बेटियों का पिता है। सिद्ध ने कहा, 'उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है।' यह बच्ची शनिवार को स्कूल के खेल समारोह में हिस्सा लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। यह कार्यक्रम अपराह्न तीन बजे समाप्त हो गया था। पटिजनों ने तलाश शुरू की तो उसका शव रविवार को खेडली गांव के पास मिला।

राष्ट्र

कार्पोरेशन बैंक		मांग नोटिस / डिमांड नोटिस	
सेवा में, कृष्णकला:-			
1. श्री मयूद हसन खान पुत्र श्री महबूब हसन खान 354 ए गदियाना शाहबाब नगर रोड, शाहजहाँपुर यूपी 242001			
2. श्रीमती रैखमा खान पत्नी श्री भादूर हसन खान, 354 गदियाना शाहबाब नगर रोड, शाहजहाँपुर यूपी 242001			
शिव मोहोदय/महोदया,			
उपरोक्त शाहजहाँपुर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियम परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आकर लिए मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांक 19.10.2019 जारी किये गये हैं तथा जो आपके अंतिम क्षण तक परे बने गये हैं, जिसमें आपके हमारे पास आपके ऋण खाता में बकायों के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सत्यता को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपके पास राशि सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को दिनांक 30.09.2019 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपके ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया जा तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।			
अपक्ष संपत्ति:			
ईएमपी आवासीय संपत्ति टी. पी. नं. 7 - 95.41 वर्ग मीटर स्थित ग्राम लौधीपुर (खान कोलोनी), सदर शाहजहाँपुर। संपत्ति श्री मयूद हसन खान पुत्र श्री महबूब हसन खान के नाम पर। सीमायें- पूर्व: अराजी मोहन खान का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता चौड़ा 14 फीट ब्रॉड, उत्तर: अराजी नाथर खान, दक्षिण: अराजी मुने खान का प्लॉट।			
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1.	CHOME - 56063100055977	Rs. 12,25,000.00	Rs. 9,05,369.47
2.	GRSHB - 560621000070281	Rs. 2,00,000.00	Rs. 1,97,855.00
GRAND TOTAL		Rs. 14,25,000/-	Rs. 11,03,224.47

अपक्ष, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मॉरिग करों पर मिश्रित 10.85 प्रतिशत प्रति वर्ष व 11.45 प्रतिशत प्रति वर्ष ऋणक (नूतन स्वीकृति के अनुसार) मॉरिग करों पर आप के ब्याज तथा बैंक के सूचना के तालत के साथ रूप्ये 11,03,224.47 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभूति क्रेडिटर विनियम परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार बैंक को पूर्व समझौते के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019 स्थान- शाहजहाँपुर प्राधिकृत अधिकारी

कार्पोरेशन बैंक		मांग नोटिस / डिमांड नोटिस	
सेवा में, कृष्णकला:-			
01. मैसर्स मोबाइल वॉर्ड श्रीमती उषा देवी, प्रवाण मार्केट, विजया बैंक के तहत, व्यापार केंद्र, षष्ठी पर सारलक्ष्य रूप - 247001			
02. श्रीमती उषा राणी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी गली नंबर 6, सन्नट विक्रम कोलोनी सारलक्ष्य रूप - 247001			
शिव मोहोदय/महोदया,			
उपरोक्त सारलक्ष्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियम परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत आकर लिए मांग नोटिस (डिमांड नोटिस) दिनांक 19.10.2019 जारी किये गये हैं तथा जो आपके अंतिम क्षण तक परे बने गये हैं, जिसमें आपके हमारे पास आपके ऋण खाता में बकायों के भुगतान का निर्देश दिया गया है। उक्त मांग नोटिस की सत्यता को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंक द्वारा आपके पास राशि सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को दिनांक 30.09.2019 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया है। उपरोक्त सुविधा प्राप्त करते समय आपके ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया जा तथा निम्न परिसम्पत्तियों में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है।			
अपक्ष संपत्ति:			
ईएमपी आवासीय संपत्ति टी. पी. नं. 7 - 95.41 वर्ग मीटर, राणी अधिकार संघीय स्थित धारा कोट तथा अर्द्धक पी.टी. और जिला सारलक्ष्य दर अवादी सन्नट विक्रम कोलोनी सारलक्ष्य, संपत्ति श्रीमती उषा राणी के नाम। सीमायें- पूर्व: रास्ता 15 फीट चौड़ा, पश्चिम: दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान, उत्तर: दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान, दक्षिण: दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाला मकान।			
S.No.	Nature of Limit	Limit Sanctioned	Outstanding Balance
1.	CLUCC - 560371000451669	Rs. 7,50,000/-	Rs. 7,84,346.48
GRAND TOTAL		Rs. 7,50,000/-	Rs. 7,84,346.48

अपक्ष, ऋणधारक के रूप में आप सं. 1 व 2 को उपरोक्त सूचना के अनुसार निर्देश दिया जाता है कि मॉरिग करों पर मिश्रित 12.05 प्रतिशत प्रति वर्ष (नूतन स्वीकृति के अनुसार) मॉरिग करों पर आप के ब्याज तथा बैंक के सूचना के तालत के साथ रूप्ये 7,84,346.48 उपरोक्त राशि का इस प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। इसका अनुपालन नहीं करने पर हम, प्रतिभूति क्रेडिटर विनियम परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत समस्त या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे। अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार बैंक को पूर्व समझौते के बिना इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से उपरोक्त प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का आप हस्तांतरण नहीं करेंगे।

दिनांक : 02.12.2019 स्थान- सारलक्ष्य प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (नियम 8 (6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के अंतर्गत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आसक्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी (ओ), व निदेशकों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है", के आधार पर निम्नलिखित दिनांक को ऋणी (ओ), बंधककर्ता (ओ) जमानतकर्ता (ओ) व निदेशकों से सम्पत्ति की बिक्री कर निम्नलिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चों जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व धरोधर धनराशि निम्नलिखित है। ई-नीलामी वेब पोर्टल www.magicbricks.com के प्लेटफॉर्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/बंधककर्ता/जमानती का नाम व पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस तिथि		ई-नीलामी की तिथि व समय	खाता का नाम व बिड जमा करने के लिए खाता संख्या एवं एफएससी कोड	निरीक्षण करने की तिथि व समय एवं संपर्क फोन नं का विवरण
			कब्जे की तिथि बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ईएमपी बिड गुणक मूल्य			
1.	शाखा: रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी/बंधककर्ता: श्री राकेश सेत पुत्र ज्ञानेन्द्र सेन, निवासी: मोतीपुर बाई नं 2, दिनेशपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर-263160	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं 396 मिन, क्षेत्रफल 24*37*768 वर्ग फीट अथवा 71.37 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामी श्री राकेश सेन, खंडा तहसील नरपुर, परगना नरपुर जिला उधम सिंह नगर, सीमायें-उत्तर: मनोरजन मंडल की भूमि, दक्षिण: विक्रता की भूमि, पूर्व: विक्रता की भूमि, पश्चिम: रास्ता	मांग नोटिस तिथि 19.04.2017 कब्जे की तिथि 08.09.2017 बकाया राशि ₹ 6,32,098/- + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 4,63,930/- ₹ 47,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 159102000009999 IFSC Code: IOBA0001591 IOB Bid Account रुद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05944-247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
2.	शाखा: रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी/बंधककर्ता: श्री नयनकुमार पुत्र श्री राम स्वस्थ, निवासी: गली नं 6, बाई नं 15, इन्दिरा कॉलोनी, तहसील-रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड संपत्ति खसरा नं 6/1min, माप क्षेत्रफल 13X24.5 फीट यानि 29.60 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम-विगावड़ा परगना-रुद्रपुर तहसील-रुद्रपुर, जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) संपत्ति स्वामी श्री नयन कुमार पुत्र श्री राम स्वस्थ, सीमायें-उत्तर: खाल नं 0 D2, दक्षिण: नंगपुरा का 9.09 मीटर चौड़ा रोड, पूर्व: स्वामी का शेष भाग, पश्चिम: पुरानी गला कैंडरी	मांग नोटिस तिथि 25.05.2018 कब्जे की तिथि 14.20.2018 बकाया राशि ₹ 4,92,102.77 + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 7,54,800/- ₹ 75,500 ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या 159102000009999 IFSC Code IOBA0001591 IOB Bid Account रुद्रपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05944-247626, मो. नं. 9027338225 पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
3.	शाखा: काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी: श्री विनित पुत्र राजेश निवासी मौलखा काजी बाग, बाई नं 15, काशीपुर, उधमसिंह नगर-244713 गारुडर: श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह, निवासी: मकान नं 15, खारकपुर देवीपुर, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर-244713 2. राजू पुत्र हीरा लाल, निवासी: खडकपुर, देवीपुरा काशीपुर जिला उधमसिंह नगर-244713	बंधक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं 274/2 मिन, खाला नं 1030, स्थित खडकपुर, देवीपुरा काशीपुर, उधमसिंह नगर, जिसका बही नं 1, जिन नं 4933, पेज नं 1 1 से 14, क्रमांक संख्या 307, उप-निम्नक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट। सम्पत्ति स्वामी श्री विनित पुत्र राजेश। सीमायें-उत्तर: सजीव सखेनी की सम्पत्ति, दक्षिण: स्यु किशोर का मकान, पूर्व: रोड 20 फीट चौड़ा, पश्चिम: श्रीमती माया देवी की सम्पत्ति	मांग नोटिस तिथि 23.05.2018 कब्जे की तिथि 23.10.2018 बकाया राशि ₹ 13,45,118.22 + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 12,75,000/- ₹ 1,28,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
4.	शाखा: काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी: श्री बलविक्रम सिंह पुत्र श्री मुपेन्द्र सिंह एवं श्रीमती अमन बीप कोर पत्नी श्री बलविक्रम सिंह, प्लॉट नं 302, तुलीय मॉडल रिडि ब्लॉक, गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं 112Min, ग्राम गिनीबेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर गारुडर: श्री अमनवीर सिंह पुत्र श्री कपूरसिंह सिंह, निवासी: प्लॉट नं 402, ब्लॉक-A, गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं 112Min, ग्राम गिनीबेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर	बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं 302, तुलीय मॉडल रिडि ब्लॉक, श्री गणपति अपार्टमेंट, खसरा नं 112Min, ग्राम गिनीबेड़ा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर। मकान का कुल क्षेत्रफल 1242.83 वर्ग फीट जिसका कवरड क्षेत्रफल 991.40 वर्ग फीट, निहित 3 रूम, एक ड्राइंग रूम, 2 बैथरूम, किचन स्टोर, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती अमनवीर कोर पत्नी श्री बलविक्रम सिंह। सीमायें-उत्तर: प्लॉट नं 0 A-301, दक्षिण: प्लॉट नं 0 A-303, पूर्व: खुला आकाश, पश्चिम: खुला आकाश	मांग नोटिस तिथि 03.04.2018 कब्जे की तिथि 28.10.2018 बकाया राशि ₹ 18,73,880.96 + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 9,71,890/- ₹ 98,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
5.	शाखा: काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी: श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, निवासी होटल गौतमी हाइस्टेज के फीरे, खारकपुरा देवीपुरा, काशीपुर, उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-244713, गारुडर: श्री राज कुमार पुत्र श्री लाल निवासी श्याम पुरम कोलोनी, खारकपुर देवीपुरा काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)-244713	बंधक सम्पत्ति खसरा नं 274/1 मिन, स्थित खडकपुर देवीपुरा होटल गौतमी हाइस्टेज के फीरे, काशीपुर, उधमसिंह नगर, बही नं 0 1, जिन नं 5167, पेज 245 से 258, क्रमांक संख्या 5167 उप-निम्नक काशीपुर पर दर्ज है, कुल क्षेत्रफल 623 वर्ग फीट। सम्पत्ति स्वामी हेमन्त कुमार। सीमायें-उत्तर: रोड 25 फीट चौड़ा, दक्षिण: लक्ष्मी सिंह का मकान, पूर्व: विक्रता का मकान, पश्चिम: 23 फीट चौड़ा रोड	मांग नोटिस तिथि 23.05.2018 कब्जे की तिथि 28.10.2018 बकाया राशि ₹ 14,16,792/- + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 9,71,890/- ₹ 98,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
6.	शाखा: काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड ऋणी/बंधककर्ता: शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश कुमार मकान नं 0 एस 5, हरिया वाला कुंडा काशीपुर, उत्तराखंड-244713 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश, मकान नं. 6, अप्पाली हरिया वाला कुंडा काशीपुर, उत्तराखंड- 244713	बंधक आवासीय सम्पत्ति क्रियेय तिलेख संख्या 717, दिनांक 17.02.2014, खसरा नं 0 135, ग्राम हरियावाला, तहसील बरपुर, उधमसिंह नगर सम्पत्ति स्वामी श्रीमती शिखा अग्रवाल पत्नी श्री मुकेश अग्रवाल। सीमायें-उत्तर: अजय कुमार की सम्पत्ति, दक्षिण: अजय कुमार की सम्पत्ति, पूर्व: कच्चा रास्ता 30 फीट चौड़ा, पश्चिम: अजय कुमार की सम्पत्ति	मांग नोटिस तिथि 07.12.2016 कब्जे की तिथि 27.05.2017 बकाया राशि ₹ 23,40,831/- + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 26,67,725/- ₹ 2,67,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 221702000002217 IFSC Code IOBA0002217 IOB Bid Account काशीपुर शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05947-272219, मो. नं. 9654389470 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
7.	शाखा: बाजपुर (3504) ऋणी: 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी: ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर, तहसील बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, पिन-2462401, 2. कानूनी वारिस स्व. श्रीमती गीता पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी: ग्राम व पोस्ट-लाखनपुर बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401 गारुडर: 1. श्री राजकुमार अर्ना पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, निवासी: मकान नं 130, मुंडिया पिस्तीर बाई नं 05, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401, 2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री सर्वजीत शर्मा, 25, लाल बहादुर शास्त्री बाई नं 4, बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262401	बंधक सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति खसरी नं 0 15, खसरा नं 239 मिन, मुंडिया पिस्तीर, तहसील बाजपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, क्रियेय तिलेख दिनांक 27.05.2015 से, सम्पत्ति स्वामी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद एवं स्व. श्रीमती गीता पत्नी श्री सुरेश कुमार, ग्राम व पोस्ट लाखनपुर, बाजपुर उधमसिंह नगर-262401, सीमायें-पूर्व: श्री कुचल सिंह की भूमि, पश्चिम: रास्ता 4.92 मीटर, उत्तर: श्री सुशील की भूमि दक्षिण: विक्रता की भूमि	मांग नोटिस तिथि 29.05.2018 कब्जे की तिथि 12.09.2019 बकाया राशि ₹ 12,66,812/- + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 17,05,355/- ₹ 1,71,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 350402000002000 IFSC Code IOBA0003504 IOB Bid Account बाजपुर	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 05949-282280, मो. नं. 8948401888 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।
8.	शाखा: कोटद्वार (2543) ऋणी: श्री संदीप कुमार पुत्र हेतारत, काशीरामपुर, पट्टी सुबेरो नजीबाबाद रोड, कोटद्वार पुरी नडवाला-246149 गारुडर: श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मुकेश सिंह, ग्राम- सीमांतबीर, पट्टी सुबेरो, कोटद्वार पुरी नडवाला- 246149	बंधक आवासीय सम्पत्ति खाला नं 142, 143 एवं 144 खाला खसरी नं 0 135 ग्राम- काशीरामपुर, पट्टी सुबेरो, तहसील कोटद्वार, जिला- पुरीनडवाला उप-निम्नक कोटद्वार बही नं 1 जिल्ल नं 0 269 पेज नं 0 131 से 138 दस्तावेज नं 1124 दिनांक 29.03.2011 पर पंजीकृत है। कुल क्षेत्रफल 688 वर्ग फीट, सम्पत्ति स्वामी: श्री संदीप कुमार पुत्र हेतारत	मांग नोटिस तिथि 07.10.2017 कब्जे की तिथि 16.01.2018 बकाया राशि ₹ 11,39,741.33/- + प्रमावी ब्याज व अन्य खर्च	₹ 8,00,000/- ₹ 80,000/- ₹ 10,000/-	18.12.2019 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक अगर बिड अंतिम क्षण में रखी जाती है तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा	खाता संख्या: 254302000002000 IFSC Code IOBA0002543 IOB Bid Account कोटद्वार शाखा	किसी भी कार्य दिवस में शाखा प्रबन्धक से फोन नं 01382-229916 / 229912 मो. नं. 8859472457 पर प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक परामर्श कर सकते हैं।

जानकारी अगर कोई हो तो, बैंक की जानकारी के अनुसार कोई भार नहीं, बकाया देय राशि समावेश नहीं, लोकल निजि सरकारी (सम्पत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली का बिल इत्यादी) ज्ञात नहीं बोलि के लिए ईएमडी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि: 18.12.2019 से प्रत्याक्षित बोलिदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई-नीलामी, से संबंधित जानकारी के लिए क्रॉस 0 1 से 2 के लिए- शाखा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, रुद्रपुर शाखा, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, एसजीएडी कॉम्प्लेक्स, नैनीताल रोड, रुद्रपुर-263153, फोन नं: 05944-247626, 9027338225 एवं क्रॉस 0 3 से 6 के लिए- काशीपुर शाखा, चामुंडा कॉम्प्लेक्स, रामनगर रोड, एवं काशीपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, पिन-244713, फोन नं: 05947-272219, मो नं: 89654389470 तथा एवं क्रॉस 0 7 के लिए- शाखा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर शाखा, पता: इण्डियन ओवरसीज बैंक, बाजपुर, चकपुर चौराहा रामपुर रोड, बाजपुर, जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-248115 सम्पर्क नं 05949-282280, 8948401888 एवं क्रॉस 0 8 के लिए- शाखा प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोटद्वार शाखा, निक्ट मोहश्चरी पेट्रोल पम्प, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार, पुरी नडवाला उत्तराखंड पिन-246149, सम्पर्क नं 01382-229912 / 229916, 8859472457 पर कार्य दिवस के दौरान कार्यालय पर अथवा बैंक द्वारा सर्विस प्रदाता magic brick सर्विस लिमिटेड- हेल्प लाइन नं 0 9212346000 मोहिलत शर्मा नं 0: 9837778407, ई-मेल: auction@magicbricks.com व मोहित.sharma@magicbricks.com पर सम्पर्क करें। विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (वेब पोर्टल) www.magicbricks.com पर देखें

दिनांक: 02.12.2019 स्थान- देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैं

खबर कोना

रूट के दोहरे शतक से इंग्लैंड को बढ़त


दूसरा टेस्ट, चौथा दिन : न्यूजीलैंड की दूसरी पारी लड़खराई

मैरी कॉम ने सविता को किया परास्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 दिसंबर।

छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने सोमवार को यहां बिग बाउट इंडन बॉक्सिंग लीग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सविता को फ्लाइवेट वर्ग के तीनों राउंड में परास्त कर एकतरफा जीत दर्ज की। पहला दिन पंजाब पैथर्स के नाम रहा जिसने ओडीशा वॉरियर्स को 5-2 से हराया।

गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी के इंडोरे स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेल के पूर्व चैंपियन मनोज कुमार इस मुकाबले के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। उन्होंने 69 किलो वर्ग में उज्बेकिस्तान के यूक्रेनियन चैंपियन को एकतरफा मुकाबले में हराया। इसके बाद जैरिमन ने महिलाओं के 57 किलो वर्ग में सपना शर्मा को और दीपक ने 52 किलो वर्ग में पीएल प्रसाद को शिकस्त देकर ओडीशा वॉरियर्स को 2-1 से आगे कर दिया। वहीं अर्जुन पुरस्कार विजेता सोनिया लाथर ने महिलाओं के 60 किलो वर्ग में ओडीशा टीम की प्रियंका चौधरी के खिलाफ पिछड़ने के बाद जीत हासिल की। इसके बाद मैरी कॉम ने सविता को हराकर पंजाब पैथर्स को 3-2 से आगे किया। उज्बेकिस्तानी बॉक्सर खालाकोव ने 57 किलो वर्ग में मोहम्मद इब्राहिम को हराकर पंजाब टीम को 4-2 की निर्णायक बढ़त दिलाई और बाकी का काम मोहित ने नीलकमल सिंह को हराकर पंजाब के लिए कर दिया।



मैट्रिड : ला लीगा में एटलेटिको मैट्रिड के खिलाफ निर्णायक गोल दागने के बाद बार्सिलोना के लियोनल मेस्सी।

आइपीएल नीलामी में 971 खिलाड़ियों की लगेगी बोली

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

आइपीएल के लिए 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी में 971 क्रिकेटर्स पर बोली लगेगी जिनमें 713 भारतीय और 258 विदेशी खिलाड़ी होंगे। इनमें 215 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 754 घरेलू क्रिकेटर जबकि एसोसिएट देशों के दो क्रिकेटर हैं। आइपीएल खिलाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया 30 नवंबर को खत्म हो गई। अब फ्रैंचाइजी के पास अपने चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची देने के लिए नौ दिसंबर तक का समय है जो खिलाड़ियों की अंतिम नीलामी में जाएंगे। पंजीकृत खिलाड़ियों में 19 भारत के अंतरराष्ट्रीय, 634 घरेलू और 60 ऐसे घरेलू क्रिकेटर हैं जो कम से कम एक आइपीएल मैच खेल चुके हैं। वहीं 196 अंतरराष्ट्रीय विदेशी खिलाड़ी और 60 ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। इनमें भी दो एसोसिएट देशों के खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान (19), आस्ट्रेलिया (55), बांग्लादेश (छह), इंग्लैंड (22), नीदरलैंड (एक), न्यूजीलैंड (24), दक्षिण अफ्रीका (54), श्रीलंका (39), अमेरिका (एक), वेस्ट इंडीज (34) और जिंबाब्वे (तीन) के खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे।

मुक्केबाज नीरज डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर निलंबित

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

तोबैको ओलंपिक 2020 के संभावितों में से एक अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज नीरज (57 किलो) को डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। नीरज को प्रदर्शन बेहतर करने वाली दवा लिगांडोल और अन्य एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन का दोषी पाया गया। नीरज ने बुल्गारिया में इस साल स्ट्रोजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कांस्य और रूस में एक टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। उसने गुवाहाटी में इंडिया ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था। नीरज के नमूने 24 सितंबर को लिए गए जिनकी जांच कतर में लैब में की गई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने कहा, तीन नवंबर को कतर स्थित डोपिंग निरोधक लैब से मिली रिपोर्ट में नीरज को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया। एजेंसी ने कहा, नाडा ने डोपिंग निरोधक नियम 2015 के उल्लंघन संबंधी नोटिस उन्हें दे दिया और 13 नवंबर 2019 से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया।

अंडर-19 विश्व कप: भारतीय टीम की कमान प्रियम गर्ग को

मुंबई, 2 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज प्रियम गर्ग दक्षिण अफ्रीका में अगले साल होने वाले आइसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में गत चैंपियन भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुआई करेंगे। अखिल भारतीय जूनियर चयन समिति ने रविवार को यहां बैठक कर-के 17 जनवरी से नौ फरवरी तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन किया। दारु हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज गर्ग के नाम पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक और लिस्ट ए में शतक दर्ज है। गर्ग भारत सी टीम का भी हिस्सा थे जो पिछले महीने देवघर ट्रॉफी में उप विजेता रही। उन्होंने फाइनल में भारत बी के खिलाफ 74 रन की पारी खेली। रणजी ट्रॉफी सत्र 2018-19 में गर्ग उत्तर प्रदेश के दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने 67.83 के औसत से 814 रन बनाए जिसमें करियर की सर्वश्रेष्ठ 206 रन की पारी सहित दो शतक शामिल रहे।

हैमिल्टन, 2 दिसंबर (एपी)।

कप्तान जो रूट के तीसरे दोहरे शतक की बढौलत इंग्लैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन 476 रन बनाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 101 रन की बढ़त हासिल की और मैच जीतकर दो मैचों की शृंखला बराबर करने की उम्मीद जीवंत रखी।

रूट (226) ने ओली पोप (75) के साथ छठे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय से ठीक पहले आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज नील वैनगर ने 124 रन पर पांच विकेट चटकए। उन्होंने पारी में नौवीं बार पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 96 रन बनाए। शृंखला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अब लंबे समय तक क्रीज पर टिककर इंग्लैंड को जीत से रोकना होगा और इसमें बारिश से उन्हें मदद मिल सकती है क्योंकि मंगलवार को बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाजों जीत रावल (00) और टाम लैथम (18) के विकेट 28 रन तक गंवा दिए। रावल पिछली 10 पारियों में छह बार दोहरे अंक में



पहुंचने में नाकाम रहे हैं।

कप्तान केन विलियमसन (37) और रोस टेलर (31) ने हालांकि इसके बाद 68 रन की अटूट साझेदारी करके दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के गेंदबाजों को और सफलता हासिल नहीं करने दी। न्यूजीलैंड की टीम अब भी पांच रन से पिछड़ रही है जबकि उसके

03 दोहरे शतक लगाकर पीटरसन के रेकार्ड की बराबरी की

05 दोहरे शतक जमाए हैं इंग्लैंड की ओर से वाल्टर हैमंड और एलिस्टेयर कुक ने

02 दोहरे शतक 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ और 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बना चुके हैं

आठ विकेट शेष हैं। इससे पहले रूट साढ़े 10 घंटों से अधिक समय पर क्रीज पर रहे। उन्होंने इस दौरान 441 गेंद का सामना करते हुए 22 चौके और एक छक्का मारा। रूट उस समय क्रीज पर उतरे थे जब दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 24 रन पर दो विकेट गंवाकर संकट में थी। इस पारी से पहले रूट खराब फार्म से जूझ

सैग : भारतीय पुरुष, महिला बैडमिंटन टीमों को स्वर्ण

पोखरा, 2 दिसंबर (भाषा)।

भारत की पुरुष और महिला बैडमिंटन टीमों ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में सोमवार को अपने अपने फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीते।

पुरुष टीम ने किदाव्मी श्रीकांत की अगुआई में श्रीलंका को 3-1 से हराया जबकि महिला टीम ने अपने इस प्रतिद्वंद्वी को 3-0 से करारी शिकस्त दी। श्रीकांत ने दिनुका करुणारत्ने को 17-21, 21-15, 21-11 से हराया। सिरिल वर्मा ने इसके बाद सचिन डायस को 21-17, 11-5 से पराजित किया।

आयु में हेराफेरी, दिल्ली के प्रिंस दो सत्र के लिए प्रतिबंधित

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस राम निवास यादव के अंडर-19 टूर्नामेंट में आयु में हेराफेरी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआइ ने अगले दो सत्र के लिए घरेलू क्रिकेट से प्रतिबंधित किया है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के साथ पंजीकृत यादव को बीसीसीआइ ने तुरंत प्रभाव से अयोग्य कर दिया है और साथ ही 2020-21 और 2021-22 घरेलू सत्र में उसके भाग लेने पर भी पाबंदी लगा दी है।

डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,

बीसीसीआइ ने की कार्रवाई

प्रिंस यादव की जन्मतिथि 10 जून 1996 थी लेकिन इस क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड को जो जन्म प्रमाण पत्र सौंपा था उसमें उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 दर्ज थी

इसकी पुष्टि हो गई है। हमें बीसीसीआइ से सूचना मिली है कि प्रिंस यादव को आयु में हेराफेरी का दोषी पाया गया है। बीसीसीआइ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्रवाई की जिसमें प्रिंस यादव की जन्मतिथि 10 जून 1996 थी लेकिन इस क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड को जो जन्म

प्रमाण पत्र सौंपा था उसमें उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 दर्ज थी। डीडीसीए को भेजे ईमेल में बीसीसीआइ ने कहा, प्रिंस राम निवास यादव (खिलाड़ी पहचान संख्या 12968), जिसे डीडीसीए ने 2018-19 सत्र में अंडर-19 आयु वर्ग में पंजीकृत किया और फिर 2019-2020 में पुनः पंजीकरण किया गया। इस क्रिकेटर ने हाल में जो जन्म प्रमाण पत्र सौंपा है उसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 12 दिसंबर 2001 है। बीसीसीआइ ने 30 नवंबर को डीडीसीए को भेजे पत्र में कहा, क्रिकेटर के अधिक उम्र का होने से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बीसीसीआइ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से

उससे संबंधित जानकारी मांगी और पता चला कि प्रिंस यादव ने 2012 में 10वीं की परीक्षा पास की और उनकी असल जन्म तिथि 10 जून 1996 है। बीसीसीआइ ने कहा कि आयु वर्ग के टूर्नामेंटों में फायदे उठाने के लिए यादव ने एक से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। बोर्ड ने कहा, इसे देखते हुए प्रिंस यादव को तुरंत प्रभाव से अयोग्य किया जाता है और उनके बीसीसीआइ के दो घरेलू सत्र 2020-21 और 2021-22 में बीसीसीआइ के किसी भी टूर्नामेंट में खेलने पर प्रतिबंध होगा। दो साल का प्रतिबंध पूरा होने के बाद उसे सिर्फ सीनियर पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने की स्वीकृति होगी।

आस्ट्रेलिया ने पाक से जीती 2-0 से शृंखला

एडीलेड, 2 दिसंबर (एपी)।

नाथन लियोन के पांच विकेट की बढौलत आस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन-रात्रि क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान को पारी और 48 रन से हराकर दो मैचों की शृंखला में 2-0 से सूपड़ा साफ किया।

पहली पारी में 287 रन से पिछड़ने के बाद फालोआन खेल रही पाकिस्तान की टीम लियोन (69 रन पर पांच विकेट) और जोश हेजलवुड (63 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने दूसरी पारी में भी 239 रन ही बना सकी। आस्ट्रेलिया ने

सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के नाबाद 335 रन की बढौलत पहली पारी में तीन विकेट पर 589 रन बनाने के बाद पारी घोषित की थी। लियोन ने इससे पहले कभी पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट हासिल नहीं किए थे और ना ही चौथे दिन के खेल से पहले दिन-रात्रि टेस्ट में कोई विकेट हासिल किया था। इस ऑफ स्पिनर ने 16वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए और अब एडीलेड ओवल में उनके नाम पर 50 टेस्ट

विकेट दर्ज हैं। राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने से पहले वह इस मैदान पर क्यूरेटर की भूमिका निभाते थे। पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 39 रन से की। सलामी बल्लेबाज शान मसूद (68) और असद शाफिक (57) ने स्कोर 123 रन तक पहुंचाया जिसके बाद लियोन ने मसूद को मिशेल स्टार्क के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। मसूद और शाफिक ने तीसरे विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी की। शाफिक भी अर्धशतक पूरा करने के बाद लियोन की गेंद पर डेविड वार्नर को कैच दे बैठे जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 154 रन हो गया। इफ्तिकार अहमद

(27) और मोहम्मद रिजवान (45) ने इसके बाद टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। लियोन ने इफ्तिकार को पवेलियन भेजकर इस साझेदारी का अंत किया। इस आफ स्पिनर ने इसके बाद पहली पारी में शतक जड़ने वाले यासिर शाह (13) को पगबाधा किया और फिर डिनर ब्रेक से पहले की अंतिम गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी (01) को हेजलवुड के हाथों कैच कराके पारी में पांच विकेट पूरे किए।

मैरी जगह अब नई पीढ़ी को लेनी चाहिए : पेस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (भाषा)।

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिपेंडर पेस ने सोमवार को संन्यास लेने के संकेत देते हुए कहा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जीत के लिए अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं और वह एक साल से ज्यादा नहीं खेलना चाहते हैं। कई शीर्ष खिलाड़ियों के इस्लामाबाद जाने से इनकार करने के बाद पेस को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत की डेविस कप टीम में चुना गया। इस 46 वर्षीय खिलाड़ी ने डेविस कप में 44वां युगल मैच जीतकर खुद के रेकार्ड में सुधार किया। भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। पेस ने पत्रकारों से कहा, अब मैं अपने अनुभव के दम पर जीत दर्ज करता हूँ लेकिन टीम के हितों को देखते हुए मुझे एक साल से अधिक नहीं खेलना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि भारतीय टेनिस का अभी मुख्य उद्देश्य अभी नई और युवा टीम तैयार करना होना चाहिए। पेस ने कहा, मैं 46 साल का हो चुका हूँ और मैरी जगह अब नई पीढ़ी को लेनी चाहिए।





presentes



HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Inclusive Innovation
- Border Districts
- Jammu & Kashmir District
- Child Development
- Left Wing Extremism Districts
- Community Involvement
- North East Districts
- Education
- Skill Development
- Energy
- Social Welfare
- Entrepreneurship
- Technology Implementation
- Health
- Water Management
- Implementation of Central Schemes
- Women Development

To apply visit eigawards.indianexpress.com

LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019



IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 16, हवाई शूल्क : इंकल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा-201301, फिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेमोरान्डम प्लॉटर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बिना प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।